

भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई,
उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड,
देहरादून।

संख्या: /ई-निवि0सह0ई-नीला0/भू0खनि0ई0/पौ0गढ0/2018-19

दिनांक: 28 जून, 2018

कार्यालय ज्ञाप

भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड, भोपालपानी, देहरादून के ई-निविदा सह ई-नीलामी आमंत्रण प्रपत्र संख्या 0030_Pauri_Srinagar_Purana Srinagar_1.0ha/भू0खनि0ई0/ई0निवि0सह0ई0नीला0/2017-18, दिनांक 07 फरवरी, 2018 एवं जनपद पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, हरिद्वार एवं पौड़ी गढ़वाल के 5.00 है0 तक के क्षेत्रफल के कुल 85 खनन लॉटों को ई-निविदा सह ई-नीलामी के माध्यम से आवंटन हेतु जारी संशोधित विज्ञापन संख्या 05/ई0निवि0सह0ई0नीला0/भू0खनि0ई0/ 2017-18, दिनांक 23 फरवरी, 2018 के द्वारा जनपद पौड़ी गढ़वाल की तहसील श्रीनगर के ग्राम पुराना श्रीनगर, क्षेत्रफल 1.0 हैक्टेयर रिक्त उपखनिज क्षेत्र में उपलब्ध बालू, बजरी, बोल्टर (आर0बी0एम0) को ई-निविदा सह ई-नीलामी के माध्यम से आवंटन हेतु विज्ञापित प्रकाशित की गयी थी।

2- उक्त उपखनिज क्षेत्र हेतु तकनीकी ई-निविदा दिनांक 12.03.2018 को खोली गयी थी। उक्त लॉट हेतु अधिकतम निर्धारित मात्रा 23100 टन एवं न्यूनतम निर्धारित मात्रा 11550 टन है। तदोपरान्त उक्त उपखनिज लॉट की वित्तीय निविदा दिनांक 16.03.2018 को खोली गयी।

3- उक्त लॉट हेतु दिनांक 12.03.2018 को खोली गयी प्रथम चरण की ई-निविदा में 17 निविदादाताओं द्वारा प्रतिभाग किया गया। तकनीकी निविदा के मूल्यांकन का परिणाम 16.03.2018 को घोषित किया गया, जिसमें सर्व श्री आरब (पंजीकरण संख्या - M180104163826277, विड आई0डी0 संख्या-33455) द्वारा हैसियत प्रमाण पत्र संलग्न न होने के कारण, प्रोपराईटरशिप (चन्द्र बाबू सिंह) (पंजीकरण संख्या -M180219170556410, विड आई0डी0 संख्या-34194) द्वारा प्रोपराईटरशिप के नाम से आवेदन किया गया है एवं श्री विकास नेगी (पंजीकरण संख्या -M171221115615897, विड आई0डी0 संख्या-34250) द्वारा संलग्न हैसियत निदेशक द्वारा प्राधिकृत लाईसेंसिंग अधिकारी के नाम बंधक न होने के कारण उपरोक्त तीन निविदाकारों की तकनीकी बोली को अस्वीकृत करते हुए तथा शेष 14 निविदाकारों की तकनीकी निविदा को स्वीकृत करते हुए वित्तीय ई-निविदा बोली दिनांक 19.03.2018 को खोली गयी। प्राप्त ई-निविदाओं का मूल्यांकन करते हुए समिति द्वारा सुसंगत नियमों के अधीन निम्नानुसार संस्तुति प्रदान की गयी है :-

तालिका- 1

क्र0सं0	आवेदक का नाम/निवासी	यूनिफ आई/बिडर आई0डी0	आवेदक की वित्तीय बोली
1	मै0 विजय मोहन उनियाल	33115 M171223152535237	23,100 टन
2	श्री प्रवीण कुमार	33262 M171219160937233	23,100 टन
3	श्री रविन्द्र सिंह रावत	33406 M171220153520840	23,100 टन
4	श्री भरत भूषण	33636 M180227155344347	23,100 टन
5	श्री जय बल्लभ चमोली	33645 M171223122429803	23,100 टन
6	श्री सुनील कुमार चन्द	33670 M180102130450847	23,100 टन
7	श्री मातबर सिंह नेगी	34247 M180216130919730	23,100 टन
8	श्री चन्द्रभानु सिंह बिष्ट	34295 M180103151049680	23,100 टन
9	श्री राजेन्द्र सिंह बिष्ट	34309 M180304095601143	23,100 टन
10	श्री प्रदीप तिवारी	34315 M180222132153593	23,100 टन
11	मै0 प्रदीप कुमार	34321 M171219162521400	23,100 टन
12	श्री दीनबन्धु सिंह	34329 M180222133615907	23,100 टन

13	श्री संजय नेगी	34354 M171222155726240	23,100 टन
14	श्री विजय जोशी	34366 M180206193355543	23,100 टन

जनपद पौडी गढ़वाल की तहसील श्रीनगर के ग्राम पुराना श्रीनगर, क्षेत्रफल 1.0 हैक्टेयर हेतु प्रथम चरण में ई-निविदा में प्राप्त अधिकतम चाही गयी अंकित मात्रा उत्तराखण्ड उप खनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के नियम 27 ग के उपनियम-11(5) के अनुसार 23,100 टन प्राप्त हुई।

जनपद पौडी गढ़वाल की तहसील श्रीनगर के ग्राम पुराना श्रीनगर, क्षेत्रफल 1.0 हैक्टेयर हेतु उत्तराखण्ड उप खनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के नियम 27 ग के उपनियम-11 प्रथम चरण के अनुसार द्वितीय चरण की ई-नीलामी की न्यूनतम बोली धनराशि (Floor price) = 23,100 x 35.00 = **रु 8,08,500.00** (रु आठ लाख आठ हजार पांच सौ मात्र) निर्धारित की गयी।

कार्यालय ज्ञाप संख्या 44/ई0निवि0सहई0नीला0/परिणाम/प्र0च0/नैनी0/भू0खनि0ई0/2017-18, दिनांक 21 मार्च, 2018 के द्वारा जनपद पौडी गढ़वाल की तहसील श्रीनगर के ग्राम पुराना श्रीनगर, क्षेत्रफल 1.0 हैक्टेयर हेतु समिति की संस्तुति पर प्रथम चरण की वित्तीय बोली के परिणाम के आधार पर द्वितीय चरण (ई-नीलामी) हेतु न्यूनतम बोली धनराशि (Floor price) **रु 8,08,500.00** (रु आठ लाख आठ हजार पांच सौ मात्र) निर्धारित की गयी।

4- ई-निविदा सह ई-नीलामी के द्वितीय चरण (ई-नीलामी) में प्रतिभाग करने हेतु उपरोक्त प्रथम चरण (ई-निविदा) के सफल निविदाकारों को कार्यालय के पत्र संख्या 0030 Pauri_Srinagar_Purana Srinagar_1.0ha/भू0खनि0ई0/ई0निवि0सह ई0नीला0/2017-18, दिनांक 23 मार्च, 2018 के माध्यम से ई-निविदा सह ई-नीलामी आमंत्रण प्रपत्र जारी किया गया, जिसकी सूचना विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कर, व्यक्तिगत दूरभाष तथा ई-मेल के द्वारा भी सभी उपरोक्त सफल निविदाकारों को दी गयी।

5- ई-निविदा सह ई-नीलामी के द्वितीय चरण (ई-नीलामी) में प्रतिभाग करने हेतु पूर्व निर्धारित तिथि 31.03.2018 सायं 5.00 बजे तक उक्त तालिका में वर्णित बोलीदाताओं द्वारा <https://eauction.gov.in> के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन प्रपत्र एवं वांछित अभिलेख अपलोड कर प्रस्तुत किये गये हैं।

6- उपरोक्तानुसार श्री सुनील कुमार चन्द (M180102130450847) द्वारा ई-निविदा सह ई-नीलामी के द्वितीय चरण (ई-नीलामी) में ससमय तक प्रतिभाग नहीं किया गया तथा तालिका में वर्णित सभी 13 इच्छुक बोलीदाताओं के आमंत्रण प्रपत्र तथा उसके साथ संलग्न वांछित अभिलेखों का परीक्षण/मूल्यांकन करने के उपरान्त समिति की संस्तुति के आधार पर सम्यक विचारोपरान्त उपरोक्त तालिका में वर्णित बोलीदाताओं को ई-निविदा सह ई-नीलामी आमंत्रण प्रपत्र में वर्णित तिथि एवं समय पर ऑनलाईन नीलामी प्रक्रिया में प्रतिभाग करने की अनुमति कार्यालय ज्ञाप संख्या 06/ई-निविदा सह ई-नीलामी/भू0खनि0ई0/2017-18, दिनांक 04 अप्रैल, 2018 के द्वारा प्रदान की गयी।

ई-नीलामी (द्वितीय चरण) में प्रतिभाग करने हेतु अनुमत किये गये निविदाकारों/बोलीदाताओं द्वारा दिनांक 06 अप्रैल, 2018 को प्रातः 10:00 बजे से सायं 01:00 बजे तक पूर्व निर्धारित समयान्तर्गत ई-नीलामी प्रक्रिया में प्रतिभाग किया गया, जिसके ऑन लाईन परिणाम eauction.uk.gov.in software के द्वारा ऑनलाईन परिणाम निम्नानुसार प्राप्त हुए हैं :-

क्र0सं0	बिडर मास्कड आई0डी0	उच्चतम बिड सबमिट करने की तिथि एवं समय	बिडर वैल्यू रु0
1.	20181302212555	06 अप्रैल, 2018 अपराह्न 12:48 बजे	4219948.00
2.	20181302212494	06 अप्रैल, 2018 अपराह्न 12:26 बजे	1350128.00
3.	20181302210888	11 अप्रैल, 2018 अपराह्न 01:53 बजे	9810034.00
4.	20181302212566	06 अप्रैल, 2018 अपराह्न 12:40 बजे	3997638.00
5.	20181302212568	06 अप्रैल, 2018 अपराह्न 12:57 बजे	4866668.00
6.	20181302212546	06 अप्रैल, 2018 अपराह्न 12:42 बजे	4199738.00
7.	20181302212552	06 अप्रैल, 2018 अपराह्न 01:10 बजे	6511762.00
8.	20181302212251	11 अप्रैल, 2018 अपराह्न 03:25 बजे	13504422.00
9.	20181302210997	11 अप्रैल, 2018 अपराह्न 02:32 बजे	10703316.00
10.	20181302212582	06 अप्रैल, 2018 अपराह्न 12:38 बजे	3993596.00
11.	20181302210998	11 अप्रैल, 2018 अपराह्न 03:27 बजे	14001588.00

12.	20181302212471	06 अप्रैल, 2018 प्रातः 11:29 बजे	885298.00
13.	20181302212591	06 अप्रैल, 2018 अपराह्न 01:04 बजे	6204570.00

प्रतिभाग/निविदाकारों/बोलीदाताओं की संख्या 13 प्राप्त हुई है, जिसके द्वारा बोली गई उच्चतम बोली रू0 1,40,01,588.00 (रू0 एक करोड चालीस लाख एक हजार पांच सौ अठासी मात्र) उक्त तालिका में वर्णित है।

7- ई- ऑक्शन सॉफ्टवेयर के द्वारा प्रतिभागी निविदाकारों/बोलीदाताओं की माक्सड आई0डी0 हटाते हुए निम्नानुसार परिणाम प्रस्तुत किये गये, जिसकी घोषणा कार्यालय ज्ञाप संख्या 105/ई-निविदा सह ई-नीलामी/भू0खनि0ई0/2017-18, दिनांक 17 अप्रैल, 2018 के द्वारा की गई :-

क्र0 सं0	ई-ऑक्शन सॉफ्टवेयर में बिडर माक्सड आई0डी0/नाम (विभागीय वेबसाइट द्वारा निर्गत पंजीकरण सं0)	उच्चतम बिड सबमिट करने की तिथि एवं समय	बिडर वैल्यू रू0	उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली (संशोधित) 2017 के सुसंगत नियम 27 ग उपनियम द्वितीय चरण 5 के द्वारा
1	20181302210998/ Deenbandhu Singh (M180222133615907)	11 अप्रैल, 2018 अपराह्न 03:27 बजे	14001588.00	H1
2	20181302212251/ Rajendra Singh Bisht (M180304095601143)	11 अप्रैल, 2018 अपराह्न 03:25 बजे	13504422.00	H2
3	20181302210997/ Pradeep Tiwari (M180222132153593)	11 अप्रैल, 2018 अपराह्न 02:32 बजे	10703316.00	H3
4	20181302210888/ Matbar Singh Negi (M180216130919730)	11 अप्रैल, 2018 अपराह्न 01:53 बजे	9810034.00	H4
5	20181302212552/ Jai Ballabh Chamoli (M171223122429803)	06 अप्रैल, 2018 अपराह्न 01:10 बजे	6511762.00	H5
6	20181302212591/ Chandra Bhanu Singh Bisht (M180103151049680)	06 अप्रैल, 2018 अपराह्न 01:04 बजे	6204570.00	H6
7	20181302212568/ Bharat Bhushan (M180227155344347)	06 अप्रैल, 2018 अपराह्न 12:57 बजे	4866668.00	H7
8	20181302212555/ Ravindra Singh Rawat (M171220153520840)	06 अप्रैल, 2018 अपराह्न 12:48 बजे	4219948.00	H8
9	2018302212546/ M/s Pradeep Kumar (M171219162521400)	06 अप्रैल, 2018 अपराह्न 12:42 बजे	4199738.00	H9
10	20181302212566/ M/s Vijay Mohan Uniyal (UM171223152535237)	06 अप्रैल, 2018 अपराह्न 12:40 बजे	3997638.00	H10
11	20181302212582/ Praveen Kumar (M171219160937233)	06 अप्रैल, 2018 अपराह्न 12:38 बजे	3993596.00	H11
12	20181302212494/ Sanjay Negi (M171222155726240)	06 अप्रैल, 2018 अपराह्न 12:26 बजे	1350128.00	H12
13	20181302212471/ Vijay Joshi (M180206193355543)	06 अप्रैल, 2018 प्रातः 11:29 बजे	885298.00	H13

8- कार्यालय ज्ञाप संख्या 105/ई-निविदा सह ई-नीलामी/भू0खनि0ई0/2017-18, दिनांक 17 अप्रैल, 2018 के द्वारा ई- ऑक्शन सॉफ्टवेयर से प्राप्त परिणामों के आधार पर प्रतिभागी निविदाकारों/बोलीदाताओं को उत्तराखण्ड उप खनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के सुसंगत नियम 27 (ग) उप नियम द्वितीय चरण (5) के द्वारा उपरोक्त वर्णित तालिकानुसार प्रतिभागी निविदाकार/बोलीदाताओं को उनके द्वारा दर्ज अंतिम उच्चतम बोली के आधार पर क्रमशः H1, H2, H3, H4, H5, H6 H7, H8, H9, H10, H11, H12, H13 घोषित किया गया।

9- कार्यालय ज्ञाप संख्या 105/ई-निविदा सह ई-नीलामी/भू0खनि0ई0/2017-18, दिनांक 17 अप्रैल, 2018 द्वारा श्री दीनबन्धु सिंह (M180222133615907) को जनपद पौड़ी गढ़वाल की तहसील श्रीनगर के ग्राम पुराना श्रीनगर, क्षेत्रफल 1.0 हैक्टेयर उपखनिज क्षेत्र से कुल 23,100 टन उपखनिज की निकासी हेतु उनके द्वारा निविदित उच्चतम ई-नीलामी बोली धनराशि कुल रू0 1,40,01,588.00 (रू0 एक करोड चालीस लाख एक हजार पांच सौ अठासी मात्र) को ई-निविदा सह ई-नीलामी प्रक्रिया के आवंटन

हेतु H1 घोषित करते हुए सूचित व निर्देशित किया गया कि वे "सफल बोलीदाता धनराशि" के सापेक्ष उच्चतम बोली का दस प्रतिशत धनराशि रू0 14,00,159.00 (रू0 चौदह लाख एक सौ उनसठ मात्र) 03 कार्य दिवस के अन्तर्गत एवं नियमावली के नियम 28ख उपनियम 3 के अनुसार "प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक धनराशि" उच्चतम बोली का दस प्रतिशत धनराशि रू0 14,00,159.00 (रू0 चौदह लाख एक सौ उनसठ मात्र) 07 कार्य दिवस के अन्तर्गत ट्रेजरी चालान के माध्यम से विभागीय लेखाशीर्षक में जमा कराने के उपरान्त उक्त ट्रेजरी चालान पंजीकरण के दौरान प्रेषित समस्त अभिलेखों की मूल प्रति सहित इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

10- अवगत कराना है कि उत्तराखण्ड उप खनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के नियम 28 (क) के बिन्दु संख्या - 1, 2, 3 व 4 में निम्न प्राविधान है :-

1. द्वितीय चरण की बोली समाप्त होने के उपरान्त उच्चतम बोलीदाता द्वारा दी गयी वार्षिक ई-नीलामी बोली धनराशि का दस प्रतिशत (10%) "सफल बोलीदाता धनराशि" तीन दिन के अन्तर्गत विभागीय payment gate way के माध्यम से ऑन लाईन जमा करने के उपरान्त सफल बोलीदाता घोषित किया जायेगा।
2. H1 के असफल होने की दशा में उसकी अर्नेस्ट मनी को जब करते हुए कोटिक्रम में द्वितीय ई-नीलामी बोलीदाता H2 को उसकी बोली के मूल्य का दस प्रतिशत कार्य दिवसों के अन्तर्गत जमा कराये जाने का अवसर प्रदान कराया जायेगा, उसके भी असफल होने की दशा में उसकी अर्नेस्ट मनी जब करते हुए उत्तरोत्तर कोटिक्रम का अनुपालन करते हुए अन्तिम सफल बोलीदाता तक प्रक्रिया सम्पन्न कर सफल पाये गये सफल ई-नीलामी बोलीदाता की घोषणा निदेशक द्वारा की जायेगी। सभी ई-नीलामी बोलीदाताओं के असफल होने की दशा में उनके द्वारा जमा अर्नेस्ट मनी को जब करते हुए ई-नीलामी बोली की प्रक्रिया को समाप्त घोषित किया जायेगा तथा खनन पट्टे हेतु ई-निविदा सह ई-नीलामी की प्रक्रिया सात दिन की अल्पावधि की विज्ञप्ति के उपरान्त पुनः प्रारम्भ की जायेगी।
3. सफल ई-नीलामी बोलीदाता द्वारा अधिकतम वार्षिक नीलामी बोली का दस प्रतिशत (10%) "प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक धनराशि" (बिन्दु (2) के अतिरिक्त) सात कार्यदिवसों के अन्दर विभागीय पेमेन्ट गेटवे के माध्यम से ऑन लाईन जमा करने के उपरान्त प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक अर्थात् ऐसा सफल ई-नीलामी बोलीदाता, जो अधिकतम वार्षिक नीलामी बोली का 10 प्रतिशत धनराशि जमा कर दिया हो, घोषित किया जायेगा।
4. प्रस्तर संख्या (1) के अनुसार घोषित उच्चतम बोलीदाता H1 द्वारा प्रस्तर (2) व (4) में से किसी स्तर पर निर्धारित समयान्तर्गत कार्यवाही न किये जाने के फलस्वरूप असफल होने की दशा में बिन्दु संख्या (3) के अनुसार निर्धारित H2 व कोटिक्रमानुसार अवसर प्रदान करते हुए उपरोक्तानुसार वर्णित विधि से खनन पट्टा आवंटन की प्रक्रिया सम्पन्न की जायेगी।

अवगत कराना है कि H1 श्री दीनबन्धु सिंह के द्वारा कार्यालय ज्ञाप संख्या 105/ई-निविदा सह ई-नीलामी/भू0खनि0ई0/2017-18, दिनांक 17 अप्रैल, 2018 में दिये गये निर्देशों का निर्धारित समयान्तर्गत अनुपालन न किये जाने के दृष्टिगत नियमावली के नियम 28क(2) के प्राविधानानुसार कार्यालय ज्ञाप संख्या 193/ई-निविदा सह ई-नीलामी/भू0खनि0ई0/2017-18, दिनांक 29 मई, 2018 के द्वारा H1 श्री दीनबन्धु सिंह को असफल ई-बोलीदाता घोषित करते हुए उनके द्वारा जमा अर्नेस्ट मनी इलाहाबाद बैंक- डी0डी0 संख्या-337060, दिनांक 06.01.2018, रू0 2,02,100/- (रू0 दो लाख दो हजार एक सौ मात्र) को निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई के पक्ष में जब करने के आदेश पारित किये गये तथा उक्त नियम के अधीन कोटिक्रम के H2 ई-नीलामी बोलीदाता श्री राजेन्द्र सिंह बिष्ट को उसकी बोली के मूल्य का 10 प्रतिशत "सफल बोलीदाता धनराशि" के सापेक्ष उच्चतम बोली का दस प्रतिशत धनराशि रू0 14,00,159.00 (रू0 चौदह लाख एक सौ उनसठ मात्र) 03 कार्य दिवस के अन्तर्गत एवं नियमावली के नियम 28ख उपनियम 3 के अनुसार तथा "प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक धनराशि" उच्चतम बोली का दस प्रतिशत धनराशि रू0 14,00,159.00 (रू0 चौदह लाख एक सौ उनसठ मात्र) 07 कार्य दिवस के अन्तर्गत ट्रेजरी चालान के माध्यम से विभागीय लेखाशीर्षक में जमा कराने के उपरान्त ट्रेजरी चालान की प्रति एवं पंजीकरण के दौरान प्रेषित अभिलेख इस कार्यालय को उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया, परन्तु H2 ई-नीलामी बोलीदाता श्री राजेन्द्र सिंह बिष्ट द्वारा भी कार्यालय ज्ञाप संख्या 193/ई-निविदा सह ई-नीलामी/भू0खनि0ई0/2017-18, दिनांक 29 मई, 2018 का अनुपालन न करते हुए उच्चतम बोली धनराशि का 10 प्रतिशत "सफल बोलीदाता धनराशि" एवं उच्चतम बोली धनराशि का 10 प्रतिशत "प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक धनराशि" जमा नहीं कराई गई, के दृष्टिगत नियमावली के नियम 28क(2) के अधीन H2 ई-नीलामी बोलीदाता श्री राजेन्द्र सिंह बिष्ट को असफल ई-नीलामी बोलीदाता घोषित करते हुए कोटिक्रम में H3 ई-नीलामी बोलीदाता को "सफल बोलीदाता धनराशि" तथा "प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक धनराशि" जमा किये जाने का अवसर प्रदान किया जाना है।

उत्तराखण्ड उप खनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के नियम 27 ग द्वितीय चरण के बिन्दु संख्या-5 के प्राविधानानुसार कार्यालय ज्ञाप संख्या 105/ई-निविदा सह ई-नीलामी/भू0खनि0ई0/2017-18, दिनांक 17 अप्रैल, 2018 में श्री प्रदीप तिवारी अधिकतम ई-नीलामी बोली रू0 1,07,03,316.00 (रू0 एक करोड़ सत्तर लाख तीन हजार तीन सौ सोलह मात्र) के सापेक्ष H3 ई-नीलामी बोलीदाता घोषित है।

कार्यालय ज्ञाप संख्या 193/ई-निविदा सह ई-नीलामी/भूखनि0ई0/2017-18, दिनांक 29 मई, 2018 के क्रम में श्री राजेन्द्र सिंह बिष्ट H2 ई-नीलामी बोलीदाता द्वारा ई0 निविदा में बोली गई उच्चतम ई-नीलामी बोली रू0 1,35,04,422.00 (रूपये एक करोड़ पैंतीस लाख चार हजार चार सौ बाईस मात्र) के सापेक्ष नियमावली के नियम 28(क)(1) के प्राविधानानुसार 10 प्रतिशत सफल बोलीदाता धनराशि रू0 13,50,442.20 अर्थात रू0 13,50,442.00 (रूपये तेरह लाख पचास हजार चार सौ बयालीस मात्र) एवं नियमावली के नियम 28(क)(3) के प्राविधानानुसार तथा 10 प्रतिशत प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक धनराशि रू0 13,50,442.20 अर्थात रू0 13,50,442.00 (रूपये तेरह लाख पचास हजार चार सौ बयालीस मात्र), निर्धारित समयान्तर्गत जमा नहीं कराये जाने तथा उक्त के सम्बन्ध में किसी प्रकार की कोई सूचना अद्यतन उपलब्ध न कराये जाने के दृष्टिगत नियमावली के नियम 28(क)(2) के प्राविधानानुसार श्री राजेन्द्र सिंह बिष्ट H2 को असफल ई-नीलामी बोलीदाता घोषित करते हुए उक्त नियम के प्राविधानानुसार श्री राजेन्द्र सिंह बिष्ट H2 ई-नीलामी बोलीदाता द्वारा जमा अर्नेस्ट मनी भारतीय स्टेट बैंक -डी0डी0 सं0-017642, दिनांक 09.03.2018 रू0 2,02,125/- (रूपये दो लाख दो हजार एक सौ पच्चीस मात्र) को निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई के पक्ष में जब्त करते हुए नियमावली के नियम 28(क)(2) के प्राविधानानुसार कोटिक्रम में तृतीय ई-नीलामी बोलीदाता H3 श्री प्रदीप तिवारी को उनकी उच्चतम बोली मूल्य रू0 1,0,703,316.00 (रूपये एक करोड़ सात लाख तीन हजार तीन सौ सोलह मात्र) का दस प्रतिशत "सफल बोलीदाता धनराशि" रू0 10,70,331.60 अर्थात 10,70,332.00 (रूपये दस लाख सत्तर हजार तीन सौ बत्तीस मात्र) तीन कार्य दिवसों के अन्तर्गत तथा दस प्रतिशत धनराशि रू0 10,70,331.60 अर्थात 10,70,332.00 (रूपये दस लाख सत्तर हजार तीन सौ बत्तीस मात्र) "प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक" के सापेक्ष सात कार्यदिवसों के अन्तर्गत जमा कराये जाने का अवसर प्रदान किया जाता है।

आदेश

उत्तराखण्ड उप खनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के नियम 28 (क) (2) के प्राविधानानुसार निर्गत कार्यालय ज्ञाप संख्या 193/ई-निविदा सह ई-नीलामी/भूखनि0ई0/2017-18, दिनांक 29 मई, 2018 के क्रम में श्री राजेन्द्र सिंह बिष्ट H2 बोलीदाता द्वारा ई0 निविदा में बोली गई उच्चतम बोली रू0 1,35,04,422.00 (रूपये एक करोड़ पैंतीस लाख चार हजार चार सौ बाईस मात्र) के सापेक्ष नियमावली के नियम 28(क)(1) के प्राविधानानुसार 10 प्रतिशत सफल बोलीदाता धनराशि रू0 13,50,442.20 अर्थात रू0 13,50,442.00 (रूपये तेरह लाख पचास हजार चार सौ बयालीस मात्र), नियमावली के नियम 28(क)(3) के प्राविधानानुसार तथा 10 प्रतिशत प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक धनराशि रू0 13,50,442.20 अर्थात रू0 13,50,442.00 (रूपये तेरह लाख पचास हजार चार सौ बयालीस मात्र), निर्धारित समयान्तर्गत जमा न कराये जाने के दृष्टिगत नियमावली के नियम 28(क)(2) के अधीन श्री राजेन्द्र सिंह बिष्ट H2 निविदादाता को एतद्वारा असफल ई-नीलामी बोलीदाता घोषित किया जाता है तथा उनके द्वारा निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई के पक्ष में बन्धक/जमा अर्नेस्ट मनी भारतीय स्टेट बैंक -डी0डी0 सं0-017642, दिनांक 09.03.2018 रू0 2,02,125/- (रूपये दो लाख दो हजार एक सौ पच्चीस मात्र) को निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई के पक्ष में जब्त किया जाता है।

उत्तराखण्ड उप खनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के नियम 28 (क) (2) में किये गये प्राविधानानुसार कोटिक्रम में H3 ई-नीलामी बोलीदाता श्री प्रदीप तिवारी (M180222132153593) अधिकतम बोली रू0 1,07,03,316.00 (रू0 एक करोड़ सात लाख तीन हजार तीन सौ सोलह मात्र) को सफल ई-नीलामी बोलीदाता घोषित किया जाता है तथा तदनुसार श्री प्रदीप तिवारी को निर्देशित किया जाता है कि वे नियमावली के नियम 28 (क) के बिन्दु संख्या - 1, 2, 3 व 4 के अधीन निम्नवत वांछित धनराशि एवं आवश्यक अभिलेख निर्धारित तिथि एवं समय के अन्तर्गत जमा कराना सुनिश्चित करेंगे:-

1. उत्तराखण्ड उप खनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के नियम 28 (क) (1) के अधीन वार्षिक ई-नीलामी बोली धनराशि रू0 1,07,03,316.00 (रू0 एक करोड़ सत्तर लाख तीन हजार तीन सौ सोलह मात्र) का 10 प्रतिशत "सफल बोलीदाता धनराशि" रू0 10,70,331.60 अर्थात 10,70,332.00 (रूपये दस लाख सत्तर हजार तीन सौ बत्तीस मात्र) आदेश प्राप्ति के 03 (तीन) दिन के अन्तर्गत ट्रेजरी चालान के माध्यम से विभागीय लेखा शीर्षक "0853-अलौह खनिज एवं धातुकर्म उद्योग" में जमा करते हुए ट्रेजरी चालान की प्रति एवं विभागीय वेबसाईट में पंजीकरण के दौरान प्रेषित समस्त अभिलेखों की मूल प्रतियां कार्यालय में जमा कराना सुनिश्चित करें तदोपरान्त ही आपको सफल बोलीदाता माना जा सकेगा।
2. उत्तराखण्ड उप खनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के नियम 28 (क) (3) के अधीन वार्षिक ई-नीलामी बोली धनराशि रू0 1,07,03,316.00 (रू0 एक करोड़ सात लाख तीन हजार तीन सौ सोलह मात्र) का 10 प्रतिशत

“प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक धनराशि” रू0 10,70,331.60 अर्थात 10,70,332.00 (रूपये दस लाख सत्तर हजार तीन सौ बत्तीस मात्र) (सात) कार्य दिवसों के अन्तर्गत ट्रेजरी चालान के माध्यम से विभागीय लेखा शीर्षक “0853-अलौह खनिज एवं धातुकर्म उद्योग” में जमा कराते हुए ट्रेजरी चालान की प्रति कार्यालय में उपलब्ध करना सुनिश्चित करें, तदोपरान्त ही आपको प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक घोषित किया जा सकेगा तथा तदोपरान्त प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक के पक्ष में आशय पत्र जारी किये जाने की अग्रेत्तर कार्यवाही सम्पन्न की जायेगी।

3. उत्तराखण्ड उप खनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के नियम 28 (क) (2) के प्राविधानुसार ई-नीलामी बोलीदाता H3 अर्थात आपके द्वारा भी यदि वार्षिक ई-नीलामी बोली धनराशि रू0 1,07,03,316.00 (रू0 एक करोड सात लाख तीन हजार तीन सौ सोलह मात्र) का 10 प्रतिशत “सफल बोलीदाता धनराशि” रू0 10,70,331.60 अर्थात 10,70,332.00 (रूपये दस लाख सत्तर हजार तीन सौ बत्तीस मात्र) 03 (तीन) दिन के अन्तर्गत ट्रेजरी चालान के माध्यम से विभागीय लेखा शीर्षक “0853-अलौह खनिज एवं धातुकर्म उद्योग” में जमा नहीं किया जाता है तो आपको भी असफल घोषित करते हुए आप द्वारा निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई के पक्ष में बन्धक/जमा अर्नेस्ट मनी इलाहाबाद बैंक द्वारा जारी डी0डी0 संख्या-337056, दिनांक 04.01.2018 रू0 2,02,125/- को निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई के पक्ष में जब्त कर दिया जायेगा तथा उक्त प्रक्रिया H13 कोटिक्रम के ई-नीलामी बोलीदाता तक व्यवहारित की जायेगी।

अतः श्री प्रदीप तिवारी H3 ई-नीलामी बोलीदाता से अपेक्षा है कि उपरोक्तानुसार समस्त कार्यवाही निर्धारित समयान्तर्गत सम्पन्न कराना सुनिश्चित करें।

(एस0एल0 पैट्रिक)
अपर निदेशक
कृते-निदेशक

संख्या: 274/ई-निवि0सह0ई-नीला0/भू0खनि0ई0/उत्तरकाशी/2018-19 तददिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, खनन, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
2. जिलाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल।
3. खान अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, जनपद पौड़ी गढ़वाल।
4. श्री प्रदीप तिवारी पुत्र श्री रमेश चन्द्र तिवारी, निवासी- भक्तियाना, तहसील श्रीनगर, जनपद पौड़ी गढ़वाल।
5. श्री राजेन्द्र सिंह बिष्ट पुत्र श्री उदय सिंह बिष्ट, निवासी- श्रीकोट गंगानाली, श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल।
6. सूचना पट्ट, जिलाधिकारी कार्यालय, पौड़ी गढ़वाल/मुख्यालय, देहरादून एवं भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, जनपद पौड़ी गढ़वाल हेतु।

(एस0एल0 पैट्रिक)
अपर निदेशक
कृते-निदेशक